

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

मुकदमा संख्या 126/2025

अनवान राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार सिणधरी बनाम तहसीलदार सिणधरी

—आदेश—

दिनांक 09-07-2025

श्रीमान जिला कलक्टर के पत्रांक:प.120(1)राजस्व/2016/7205-40 दिनांक 10.10.2016 के द्वारा प्राप्त निर्देशों की अनुपालना में तहसीलदार सिणधरी द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन किया है,कि राजस्व सरवणों की ढाणी पटवार मण्डल गोलिया जीवराज तहसील सिणधरी की जमाबंदी संवत् 2076-2079 के अनुसार के निम्नांकित भूमि सरकारी खातेदारी में दर्ज है। लेकिन मौके पर रास्ते के उपयोग में आ रही है,जिसे गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करवाने के आदेश प्रदान करावें।

भूमिधारक तहसीलदार सिणधरी द्वारा अनुशंषा किये जाने पर राजस्व (ग्रुप-6) विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक:प.3(2)राज-6/2003/पार्ट/04 दिनांक 10.08.2016 एवं राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के परिपत्र क्रमांक:प.3(2)राज-6/2021/पार्ट/91 दिनांक 30.9.2021 के अनुसरण में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 तथा राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957 के नियम 60 (एच) के तहत राजस्व सरवणों की ढाणी पटवार मण्डल गोलिया जीवराज तहसील सिणधरी की निम्नांकित सरकारी भूमि को गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार सिणधरी तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड एवं नक्शा ट्रेस में आदेशानुसार पालना करते हुए पालना रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध करावें। तहसीलदार सिणधरी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव व नजरी नक्शा आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

क्र. स.	खातेदार का नाम	ख.न.	रकबा (हेक्ट.)	किस्म	रास्ते हेतु मौके अनुसार प्रस्तावित भूमि			
					रकबा (हेक्ट.)	लम्बाई (गट्टा में)	चौड़ाई (गट्टा में)	किस्म
1	राजस्थान सरकार	229/210	0.0265	बा.सो.	0.0265	0	0	बा.सो.
2	राजस्थान सरकार	209/197	0.0162	बा.सो.	0.0162	0	0	बा.सो.
3	राजस्थान सरकार	221/54	0.1618	बा.सो.	0.1618	0	0	बा.सो.
4	राजस्थान सरकार	219/54	0.1133	बा.सो.	0.1133	0	0	बा.सो.



	213 / 53	0.0162	बा.सो.	0.0162	0	0	बा.सो.
	217 / 53	0.0405	बा.सो.	0.0405	0	0	बा.सो.
	215 / 53	0.0162	बा.सो.	0.0162	0	0	बा.सो.
	211 / 53	0.0324	बा.सो.	0.0324	0	0	बा.सो.
	207 / 49	0.0324	बा.सो.	0.0324	0	0	बा.सो.
	204 / 49	0.0324	बा.सो.	0.0324	0	0	बा.सो.
	201 / 49	0.0324	बा.सो.	0.0324	0	0	बा.सो.
	योग	0.5203		0.5203	0	0	

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी